शांति अधिनियम (SHANTI Act) के विरुद्ध एक मामला

UPSC प्रासंगिकता- (GS पेपर 3 – भारतीय अर्थव्यवस्था / ऊर्जा सुरक्षा)

चर्चा में क्यों?

IAS-PCS Institute

- संसद के शीतकालीन सत्र में पारित शांति अधिनियम (SHANTI Act), भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी संस्थाओं के लिए खोलता है और 'सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट' (CLNDA) के तहत उत्तरदायित्व ढांचे में बदलाव करता है।
- आपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति (Supplier indemnity), उत्तरदायित्व सीमा (Liability caps), और नियामक निरीक्षण से संबंधित परिवर्तनों ने सुरक्षा, जवाबदेही और 'नैतिक जोखिम' (Moral hazard) के बारे में चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी

पृष्ठभूमि: भारत का परमाणु उत्तरदायित्व ढांचा

भारत ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 'सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट' (CLNDA), 2010 लागू किया था। **CLNDA की मुख्य विशेषताएं:**

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

- इसने "पहुंच के अधिकार" (Right of recourse) को मान्यता दी, जिससे ऑपरेटरों को दोषपूर्ण उपकरणों के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर मुकदमा करने की अनुमति मिली।
- इसमें धारा 46 शामिल थी, जो पीड़ितों को आपराधिक कानून सहित अन्य कानूनों के तहत उपचार खोजने की अनुमति देती थी।
- यह ढांचा पिछले वैश्विक परमाणु हादसों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था।

शांति अधिनियम (SHANTI Act) की मुख्य विशेषताएं

1. **क्षेत्र को खोलना:** यह परमाणु संयंत्रों पर केंद्र सरकार के अनन्य नियंत्रण को समाप्त करता है और निजी संस्थाओं को इन्हें संचालित करने की अनुमति देता है।
2. **आपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति:** यह आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ ऑपरेटर के 'पहुंच के अधिकार' को हटा देता है और CLNDA की धारा 46 को समाप्त करता है। अब उत्तरदायित्व केवल ऑपरेटर पर होगा।
3. **उत्तरदायित्व की सीमा:** ऑपरेटर का उत्तरदायित्व ₹100 करोड़ से ₹3,000 करोड़ के बीच सीमित है। कुल उत्तरदायित्व 300 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights - लगभग ₹3,900 करोड़) पर सीमित है।
4. **नियामक संरचना:** यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, लेकिन नियुक्तियों को परमाणु ऊर्जा आयोग से जोड़कर इसकी स्वतंत्रता को सीमित करता है।

वैज्ञानिक आधार और वैश्विक अनुभव

पिछले परमाणु आपदाओं में डिजाइन दोषों का महत्वपूर्ण योगदान था:

- **फुकुशिमा (2011):** GE मार्क-1 रिएक्टरों में कमजोर नियंत्रण डिजाइन।
- **चेरनोबिल (1986):** रिएक्टर डिजाइन की खामियां और आपातकालीन शटडाउन की कमियां।
- **थ्री माइल आइलैंड (1979):** कंट्रोल रूम डिजाइन की कमजोरियां और आपूर्तिकर्ता संचार विफलताएं। ऐसे उदाहरणों के बावजूद आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति से मुक्त करना जवाबदेही पर सवाल उठाता है।

उत्तरदायित्व सीमा बनाम संभावित नुकसान

तुलनात्मक अनुमान भारी असमानता दर्शाते हैं:

- **फुकुशिमा:** सफाई की लागत लगभग ₹46 लाख करोड़ अनुमानित है।
- **चेरनोबिल:** अकेले बेलारूस में संबंधित नुकसान लगभग ₹21 लाख करोड़ अनुमानित है।
- **शांति अधिनियम उत्तरदायित्व सीमा:** ₹3,900 करोड़। यह सीमा बड़े हादसों से होने वाले संभावित नुकसान की तुलना में लगभग एक हजार गुना कम है।

नैतिक जोखिम (Moral Hazard) की चिंताएं

यह अधिनियम "भीषण प्राकृतिक आपदाओं" के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए ऑपरेटरों को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, जो खतरनाक उद्योगों के लिए भारत के पहले के 'पूर्ण उत्तरदायित्व सिद्धांत' (Absolute liability principle) के उलट है। आपूर्तिकर्ताओं को सुरक्षा देने और उत्तरदायित्व सीमित करने से:

IAS-PCS Institute

- सुरक्षा निवेश के प्रोत्साहन कम हो सकते हैं।
- लागत में कटौती को बढ़ावा मिल सकता है।
- आपदा लचीलापन (Disaster resilience) कमजोर हो सकता है। यह 'नैतिक जोखिम' पैदा करता है, जहाँ जोखिम का भार जनता पर डाल दिया जाता है।

भारत में परमाणु ऊर्जा: सीमित योगदान

- भारत के बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान केवल 3% है।
- वर्ष 2000 तक 10 गीगावाट (GW) का लक्ष्य था, लेकिन केवल 2.86 GW प्राप्त हुआ।
- 2020 तक 20 GW का लक्ष्य था, लेकिन केवल 6.78 GW ही प्राप्त हुआ।
- नया लक्ष्य: 2047 तक 100 GW। पिछली कमियों के कारण उच्च पूंजी लागत, लंबी निर्माण अवधि और सुरक्षा चिंताएं थीं।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

आर्थिक और नीतिगत निहितार्थ

परमाणु ऊर्जा दीर्घकालिक कम कार्बन लाभ प्रदान करती है, लेकिन यह अधिनियम:

- लाभ का निजीकरण करते हुए जोखिम का सामाजीकरण (Socialises risk) करता है।
- बहुराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं की रक्षा करता है।
- पीड़ितों के मुआवजे के अधिकारों को कमजोर करता है।
- नियामक स्वतंत्रता को सीमित करता है।

निष्कर्ष

शांति अधिनियम जवाबदेही पर आधारित उत्तरदायित्व शासन से व्यावसायिक व्यवहार्यता को प्राथमिकता देने वाले शासन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है। परमाणु ऊर्जा की कम हिस्सेदारी और अधूरे लक्ष्यों के इतिहास को देखते हुए, मजबूत सुरक्षा उपायों के बिना निजी भागीदारी बढ़ाना सार्वजनिक विश्वास को कमजोर कर सकता है। ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्यों को सुरक्षा सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां विफलता की लागत विनाशकारी है।

प्रश्न 1. भारत में परमाणु दायित्व कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. **Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010** ने दोषपूर्ण उपकरण की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध ऑपरेटर को "प्रतिगमन का अधिकार" (right of recourse) प्रदान किया।
2. **SHANTI Act** ऑपरेटर के डिजाइन दोषों के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर मुकदमा करने के अधिकार को समाप्त करता है।
3. SHANTI अधिनियम के अंतर्गत, परमाणु दुर्घटना की स्थिति में देय कुल दायित्व की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1

D. 1, 2 और 3

उत्तर: A. केवल 1 और 2

प्रश्न 2. भारत में परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. परमाणु ऊर्जा भारत के कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 3% का योगदान देती है।
2. भारत ने वर्ष 2020 तक 20 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था।
3. पूर्ण दायित्व (Absolute Liability) का सिद्धांत पारंपरिक रूप से भारत में खतरनाक उद्योगों पर लागू होता रहा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 1

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर: A. केवल 1 और 3

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS पेपर 3 – भारतीय अर्थव्यवस्था / ऊर्जा सुरक्षा)

प्रश्न: शांति अधिनियम आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करके और दुर्घटना से संबंधित मुआवजे को सीमित करके भारत के परमाणु उत्तरदायित्व ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। भारत में परमाणु सुरक्षा, नियामक जवाबदेही और ऊर्जा सुरक्षा के लिए इन परिवर्तनों के निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806